

मांग संख्या .
मुख्य शीर्ष 2049

मद क्रमांक 1

विशेष जमा खाते पर ब्याज हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 001
मुख्य शीर्ष 2012

मद क्रमांक 1

राज्यपाल सचिवालय (भारित) में वाहन का प्रतिस्थापन मद अंतर्गत राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। आवश्यक राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

घरेलू कर्मचारी (भारित) में कार्यालय व्यय मद अंतर्गत राशि रुपये 24.05 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 24,05,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2013

मद क्रमांक 3

मुख्यमंत्री वैवेकिक अनुदान योजना अंतर्गत राशि रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2015

मद क्रमांक 4

स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय योजना अंतर्गत अन्य प्रभार मद में राशि रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 5

सचिवालय के अंतर्गत वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते में राशि रुपये 60.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 6

प्रशासन अकादमी में व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां एवं सफाई सेवाओं के अंतर्गत राशि रुपये 176.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,76,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 7

राज्य निर्वाचन आयोग में वृहद् निर्माण कार्य मद अंतर्गत राशि रुपये 16.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 16,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

प्रशासन अकादमी परिसर में प्रशिक्षण गतिविधियों हेतु भौतिक सुविधाओं का निर्माण अंतर्गत राशि रुपये 147.54 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,47,54,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

मुख्यमंत्री निवास परिसर में एनेक्सी का निर्माण अंतर्गत राशि रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 002
मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 1 - 2

संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) की स्थापना/गठन में कार्यालय व्यय एवं परिवहन व्यवस्था मद अंतर्गत राशि रुपये 16.05 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 16,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 003
मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 1

राज्य साइबर मुख्यालय में यात्रा भत्ता स्थानांतरण मद अंतर्गत राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। आवश्यक राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

रेल्वे मजिस्ट्रेट, रतलाम, ग्वालियर आदि योजना में त्यौहार अग्रिम मद अंतर्गत राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। आवश्यक राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

ग्राम रक्षा समितियों में त्यौहार अग्रिम मद अंतर्गत राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। आवश्यक राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

पुलिस चिकित्सालयों की स्थापना एवं पुलिस कर्मियों का कल्याण योजना अंतर्गत त्यौहार अग्रिम में राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। आवश्यक राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

स्टेट क्राईम रिपोर्ट ब्यूरो की स्थापना योजना अंतर्गत त्यौहार अग्रिम में राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। आवश्यक राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

विधि चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशाला सागर योजना अंतर्गत त्र्यौहार अग्रिम मद में राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। आवश्यक राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

स्ट्रेन्थिंग होम लेण्ड सिक्यूरिटी के अंतर्गत कार्यालय उपकरणों का क्रय मद अंतर्गत राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। आवश्यक राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 004
मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 1

सैनिक आराम गृह योजना अंतर्गत वृहद् निर्माण कार्य मद में राशि रुपये 58.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 58,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 005
मुख्य शीर्ष 2056

मद क्रमांक 1

केन्द्रीय तथा जिला जेलों में सामग्री एवं पूर्तियां में राशन/भोजन व्यय मद अंतर्गत अतिरिक्त राशि रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 006
मुख्य शीर्ष 2054

मद क्रमांक 1 - 44

आयुक्त कोष एवं लेखा के अंतर्गत आंतरिक लेखा परीक्षण प्रकोष्ठ के लिये वेतन भत्तों, कार्यालय व्यय एवं अन्य मदों में प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 007
मुख्य शीर्ष 2030

मद क्रमांक 1

स्टाम्पों की लागत एवं स्टाम्पों की छपाई व्यय हेतु राशि रुपये 7.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

न्यायिकेतर स्टाम्प की लागत एवं स्टाम्पों की छपाई हेतु राशि रुपये 12.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 12,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 008
मुख्य शीर्ष 2029

मद क्रमांक 1-3

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत प्रत्यक्ष राज सहायता हेतु राशि रुपये 1600.00 करोड़ का व्यय संभावित है। आकस्मिकता निधि से दिये गये अग्रिम रुपये 35000.00 लाख का समायोजन इस राशि से किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 16,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2053

मद क्रमांक 4

म.प्र. राज्य भूमि सुधार आयोग का गठन अंतर्गत वेतन भत्ते हेतु राशि रुपये 6.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 5

जिला स्थापना अंतर्गत भूमि का क्रय/अधिग्रहण हेतु राशि रुपये 162.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,62,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5475

मद क्रमांक 6

नगरीय भूमि सीमा अधिनियम 1976 के अंतर्गत भूमि धारकों को मुआवजे का भुगतान हेतु राशि रुपये 1.38 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,38,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 010

मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 1

वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु राशि रुपये 3,07,56,500 का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,07,56,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

मालिक मकबूजी लकड़ी का क्रय अंतर्गत राशि रुपये 2000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

कार्यकारी योजना संगठन एवं वन वृत्तों की स्थापना अंतर्गत डिक्रीधन का भुगतान (भारित) हेतु राशि रुपये 20.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

लघु वनोपज संघ को अनुदान हेतु राशि रुपये 500.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 6

इमारती लकड़ी का उत्पादन हेतु राशि रुपये 2100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 21,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7 - 14

वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास हेतु राशि रुपये 2287.99 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 22,87,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 012
मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 1

उदय योजना अंतर्गत वितरण कंपनियों की हानियों की राशि का अधिग्रहण मदान्तर्गत करने के लिये राशि रुपये 231.63 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,31,63,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति मदान्तर्गत राशि रुपये 829.75 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 8,29,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति मदान्तर्गत राशि रुपये 900.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 9,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

मद क्रमांक 4

33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों एवं डी.टी.आर. मीटरिंग के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण अंतर्गत ए.डी.बी. से प्राप्त ऋण के समायोजन हेतु राशि रुपये 38.62 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 38,62,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 013
मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

सब मिशन ऑन फार्म वाटर मेनेजमेंट योजना अंतर्गत राशि रुपये 258.42 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,58,42,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

सब मिशन स्वाइल हेल्थ मेनेजमेंट योजना अंतर्गत राशि रुपये 1950.39 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 19,50,39,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत राशि रुपये 5139.88 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 51,39,88,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत राशि रुपये 860.12 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 8,60,12,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत राशि रुपये 664.84 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,64,84,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत राशि रुपये 231.60 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,31,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत राशि रुपये 176.40 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,76,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8 - 11

नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पाल्म मिशन अण्डर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत राशि रुपये 2584.19 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,84,19,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12 - 13

नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पाल्म मिशन अण्डर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत राशि रुपये 721.15 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,21,15,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14 - 15

नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पाल्म मिशन अण्डर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत राशि रुपये 732.46 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,32,46,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल योजना अंतर्गत राशि रुपये 1036.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,36,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल योजना अंतर्गत राशि रुपये 390.62 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,90,62,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा) योजना अंतर्गत राशि रुपये 281.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,81,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 19

सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल योजना अंतर्गत राशि रुपये 271.77 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,71,77,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत राशि रुपये 86315.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 8,63,15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 21

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत राशि रुपये 32545.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,25,45,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 22

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत राशि रुपये 22640.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,26,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23

ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान (एस.एम.ए.एम.) योजना अंतर्गत राशि रुपये 2000.90 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 24

ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान (एस.एम.ए.एम.) योजना अंतर्गत राशि रुपये 758.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,58,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 25

ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान (एस.एम.ए.एम.) योजना अंतर्गत राशि रुपये 527.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,27,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 014
मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 1

109 चलित पशु कल्याण सेवायें योजना हेतु राशि रुपये 750.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 3

गौ अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र में दवाईयों के क्रय हेतु राशि रुपये 50.00 लाख एवं पशु पक्षियों के लिये चारा इत्यादि हेतु राशि रुपये 50.00 लाख कुल राशि रुपये 100.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया सम्मान योजना हेतु राशि रुपये 13.70 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 13,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु राशि रुपये 1156.20 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 11,56,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 016
मुख्य शीर्ष 2405

मद क्रमांक 1

केन्द्र प्रवर्तित योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा अंतर्गत राशि रुपये 28,22.288 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 28,22,28,800 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

केन्द्र प्रवर्तित योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा अंतर्गत राशि रुपये 6,95.047 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,95,04,700 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

केन्द्र प्रवर्तित योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा अंतर्गत राशि रुपये 2,71.965 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,71,96,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 018
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1 - 2

कर्मचारी राज्य बीमा योजना में वेतन भत्ते में राशि रुपये 3.50 करोड़ तथा सामग्री एवं पूर्तियां अंतर्गत दवाईयों का क्रय में अतिरिक्त राशि रुपये 23.00 करोड़ कुल राशि रुपये 26.50 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 26,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 3-5

मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना में सहायक अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त राशि रुपये 136.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,36,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 019
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण कोष हेतु राशि रुपये 75.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कोविड-19 के उपचार बाबत अनुबंधित निजी चिकित्सालयों को भुगतान के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (आयुष्मान) हेतु राशि रुपये 8000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 80,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3-5

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कोविड-19 के उपचार हेतु भारत शासन से प्राप्त राशि के आहरण हेतु योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत राशि रुपये 7709.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 77,09,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6 -8

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कोविड-19 का उपचार एवं प्रबंधन योजना हेतु सहायक अनुदान मद में प्रतीक प्रावधानों को खोला जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 9 - 14

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कोविड-19 का उपचार एवं प्रबंधन योजना में मशीनें एवं उपकरण, वृहद निर्माण कार्य मद में प्रतीक प्रावधानों को खोला जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 022

मुख्य शीर्ष 2059

मद क्रमांक 1

कार्यालय भवनों का रख-रखाव व मरम्मत, अनुरक्षण कार्य की व्यवस्था के लिये राशि रुपये 263.80 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,63,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

कार्यालय भवनों का रख-रखाव व मरम्मत, अनुरक्षण कार्य की व्यवस्था के लिये राशि रुपये 527.78 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,27,78,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 3

अग्निशमन सेवायें के वेतन भत्ते हेतु राशि रुपये 1.20 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 4

दीनदयाल रसोई घर योजना हेतु राशि रुपये 1506.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 15,06,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

शहरी सुधार योजना के लिये राशि रुपये 4.50 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना (फेस-3) हेतु राशि रुपये 44.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 44,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

हाउसिंग फॉर ऑल योजना अंतर्गत सहायक अनुदान के लिये राशि रुपये 155.61 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,55,61,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

शहरी परिवहन व्यवस्था का सुदृढीकरण हेतु राशि रुपये 1109.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 11,09,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4217

मद क्रमांक 9

विधायक विश्राम गृह के नव निर्माण हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

स्मार्ट सिटी के लिये राशि रुपये 50.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

स्मार्ट सिटी के लिये राशि रुपये 32.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 32,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

स्मार्ट सिटी के लिये राशि रुपये 18.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 18,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6217

मद क्रमांक 13

शहरी विकास के लिये अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना में राशि रुपये 105.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,05,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 023

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 1

भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता अंतर्गत राज्य को स्वीकृत ऋण में से पार्वती रिंसी वृहद परियोजना हेतु राशि रुपये 120.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता अंतर्गत राज्य को स्वीकृत ऋण में से बीना परियोजना हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता अंतर्गत राज्य को स्वीकृत ऋण में से मोहनपुरा परियोजना हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता अंतर्गत राज्य को स्वीकृत ऋण में से चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता अंतर्गत राज्य को स्वीकृत ऋण में से सीतानगर वृहद परियोजना हेतु राशि रुपये 25.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 6

भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता अंतर्गत राज्य को स्वीकृत ऋण में से बरखेड़ा मध्यम परियोजना हेतु राशि रुपये 15.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

टेम परियोजना के लंबित भुगतान हेतु राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता अंतर्गत राज्य को स्वीकृत ऋण में से कारम मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता अंतर्गत राज्य को स्वीकृत ऋण में से पारसडोह मध्यम परियोजना हेतु राशि रुपये 5,00,05,800 का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,05,800 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता अंतर्गत राज्य को स्वीकृत ऋण में से घोघरी मध्यम परियोजना हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता अंतर्गत राज्य को स्वीकृत ऋण में से मेघा मध्यम परियोजना हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता अंतर्गत राज्य को स्वीकृत ऋण में से वर्धा मध्यम परियोजना हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 024

मुख्य शीर्ष 3054

मद क्रमांक 1

राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरक्षण एवं मरम्मत अंतर्गत राशि रुपये 25.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

राजकीय राजमार्ग के अनुरक्षण एवं मरम्मत अंतर्गत राशि रुपये 15.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

जिला तथा अन्य सड़कों के अनुरक्षण एवं मरम्मत अंतर्गत राशि रुपये 15.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

जिला तथा अन्य सड़कों के अनुरक्षण एवं मरम्मत अंतर्गत राशि रुपये 8.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

जिला तथा अन्य सड़कों के अनुरक्षण एवं मरम्मत अंतर्गत राशि रुपये 8.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

जिला तथा अन्य सड़कों के नवीनीकरण, उन्नयनीकरण एवं डामरीकरण अंतर्गत राशि रुपये 50.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 7

भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता अंतर्गत राज्य को स्वीकृत ऋण में से रेल्वे ओव्हर ब्रिज सागर पुलिया हेतु राशि रुपये 30.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता अंतर्गत राज्य को स्वीकृत ऋण में से विभाग द्वारा संचालित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित) अंतर्गत नरसिंहपुर सांकल गोटेगांव मार्ग हेतु राशि रुपये 22.00 करोड़, मिसरोद शिव मंदिर से गौरीघाट हनुमंत नरेला खंडवा रोड़ तक सी.सी. रोड़ निर्माण हेतु रुपये 23.50 करोड़, कलियासोत डैम से नया बायपास रोड़ तक सी.सी. सड़क निर्माण हेतु राशि रुपये 21.00 करोड़, सरा सुवाहरा सड़क से गुनहेरी गंजदा छिंगवदा सड़क निर्माण हेतु राशि रुपये 23.00 करोड़, नूराबाद टेकरी से बिछौला रिठौरा सड़क निर्माण हेतु राशि रुपये 28.00 करोड़ एवं जोड अमरावत मंडीदीप वाया पचामा सड़क निर्माण हेतु राशि रुपये 20.50 करोड़ इस प्रकार कुल राशि रुपये 138.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,38,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 025

मुख्य शीर्ष 2853

मद क्रमांक 1

संचालनालय की स्थापना अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां में विशेष सेवाओं के लिये मानदेय हेतु राशि रुपये 1.20 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभवित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 026

मुख्य शीर्ष 2205

मद क्रमांक 1

साँची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के लिये राशि रुपये 5.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 027

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1-3

स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आर.टी.आई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 123.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,23,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4-6

समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत राशि रुपये 658.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,58,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7-9

केन्द्र प्रवर्तित योजना पढ़ना लिखना अभियान के सुचारू संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 741.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,41,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 029
मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1

उच्च न्यायालय जबलपुर के वेतन भत्ते अंतर्गत संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक मद में राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। आवश्यक राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 8

पाँक्सो एक्ट के अंतर्गत फास्टट्रेक कोर्ट की स्थापना में वेतन भत्तों आदि मदों में राशि रुपये 700 के प्रतीक प्रावधानों की आवश्यकता है। आवश्यक राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 700 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2015

मद क्रमांक 9

एजुकेशन तथा इलेक्ट्रॉल पार्टिसिपेशन (स्वीप) के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद में अतिरिक्त राशि रुपये 6.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 10

मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण योजना में यात्रा भत्ता स्थानांतरण मद अंतर्गत राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। आवश्यक राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 11

मध्यप्रदेश विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान में वेतन भत्ते-न्यायिक सेवा मद अंतर्गत अतिरिक्त राशि रुपये 1.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 031
मुख्य शीर्ष 3454

मद क्रमांक 1

जन अभियान परिषद का गठन अंतर्गत सहायक अनुदान हेतु राशि रुपये 6.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 032

मुख्य शीर्ष 2220

मद क्रमांक 1

कार्यक्रम आयोजन एवं प्रबंधन योजना हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 033

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालनालय में कर्मचारियों को विशेष त्यौहार अग्रिम के रूप में नवीन मद खोला जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल को शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 2088.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,88,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 3

आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जूनियर छात्रावास भवनों का निर्माण हेतु राशि रुपये 120.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत म.प्र. स्पेशल एवं रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी हेतु राशि रुपये 1000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत महाविद्यालयीन छात्रावास, जवाहर लाल नेहरू कृषि विद्यालय जबलपुर में 03 अनुसूचित जनजाति छात्रावास के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 105.20 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,05,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 034

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

निःशक्तजनों के लिये बाधारहित वातावरण योजना हेतु राशि रुपये 60.156लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 60,15,600 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

निःशक्तजनों के लिये बाधारहित वातावरण योजना हेतु राशि रुपये 17.1873 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 17,18,730 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

निःशक्तजनों के लिये बाधारहित वातावरण योजना हेतु राशि रुपये 18.143 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 18,14,300 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 036
मुख्य शीर्ष 5055

मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश इंटर सिटी ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद में राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। आवश्यक राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 038
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1 - 4

आयुष विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिये औषधि क्रय एवं अन्य गतिविधियों हेतु राशि रुपये 44,82,04,833 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 44,82,04,833 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 039
मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 1

मुख्य कार्यालय योजना अंतर्गत विशेष वेतन हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

म.प्र. खाद्य आयोग कार्यालय अंतर्गत नवीन मद बिजली एवं जल प्रभार हेतु राशि रुपये 10.132 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,13,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत फोर्टीफाईड चावल वितरण योजना हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 042
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1-3

गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत गैस पीड़ित कैंसर रोगियों के उपचार हेतु राशि रुपये 1200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 12,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 044
मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 1

उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर को भवन निर्माण कार्य हेतु पूंजीगत अनुभाग में राशि रुपये 5.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 047
मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 1

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत गैर सरकारी तकनीकी कॉलेज और संस्थाओं को सहायता अंतर्गत राशि रुपये 262.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,62,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 2

कौशल विकास अंतर्गत नेशनल स्किल एजुकेशन योजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त सहायता हेतु राशि रुपये 339.00 लाख का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,39,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

कौशल विकास अंतर्गत स्ट्राइव योजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त सहायता हेतु राशि रुपये 511.00 लाख का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,11,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4-6

कौशल विकास अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त सहायता हेतु राशि रुपये 159.20 लाख का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,59,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 048
मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 1

नर्मदा मालवा गंधीर लिंक उद्वहन योजना अंतर्गत राशि रुपये 40.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता अंतर्गत राज्य को स्वीकृत ऋण में से नागलवाड़ी उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु राशि रुपये 187.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,87,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता अंतर्गत राज्य को स्वीकृत ऋण में से कालीसिंध लिंक परियोजना (फेज-1) हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता अंतर्गत राज्य को स्वीकृत ऋण में से नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर उद्वहन परियोजना हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

नागलवाड़ी उद्वहन सिंचाई योजना मद हेतु राशि रुपये 175.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,75,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

भीकनगांव-बिन्जलवाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत राशि रुपये 25.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

छिपानेर माइक्रो सिंचाई योजना अंतर्गत राशि रुपये 10.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

बिस्टान उद्वहन सिंचाई योजना अंतर्गत राशि रुपये 4,99,99,800 का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,99,99,800 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक योजना अंतर्गत राशि रुपये 150.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

अलीराजपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु राशि रुपये 150.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 049
मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत समेकित विकास हेतु सर्वेक्षण के लिये सर्वेक्षण, अन्वेक्षण, रुपांकन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर व्यय हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत राशि रुपये 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षित युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण अधोसंरचना निर्माण हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत राशि रुपये 10600.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। इस राशि में से रुपये 5364.00 लाख की व्यवस्था विभाग की पूंजीगत मद योजना क्रमांक 4722 बस्तियों का विकास की बचत से समायोजन द्वारा की जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,06,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति महाविद्यालयीन हेतु केन्द्रीय योजना अंतर्गत राशि रुपये 5000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत सावित्री बाई फुले स्व सहायता हेतु राशि रुपये 300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अस्पृश्यता निवारणार्थ आयोजन योजना में राशि रुपये 612.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण योजना हेतु राशि रुपये 3500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 35,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हेतु राशि रुपये 5000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 050
मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत माइक्रो इरिगेशन योजना अंतर्गत राशि रुपये 1760.34 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 17,60,34,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत माइक्रो इरिगेशन योजना अंतर्गत राशि रुपये 663.73 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,63,73,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत माइक्रो इरिगेशन योजना अंतर्गत राशि रुपये 461.74 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,61,74,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 051

मुख्य शीर्ष 2250

मद क्रमांक 1

तीर्थ स्थान तथा मेला प्राधिकरण की स्थापना हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 053

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 1

निर्मल भारत अभियान योजना अंतर्गत राशि रुपये 10572.08 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,05,72,08,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

निर्मल भारत अभियान योजना अंतर्गत राशि रुपये 3986.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 39,86,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

निर्मल भारत अभियान योजना अंतर्गत राशि रुपये 2772.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 27,72,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 4

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत राशि रुपये 106841.52 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,68,41,52,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत राशि रुपये 40284.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,02,84,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत राशि रुपये 28023.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,80,23,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 7

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पेंशन योजना हेतु राशि रुपये 12758.69 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,27,58,69,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2505

मद क्रमांक 8

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अंतर्गत राशि रुपये 30500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,05,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अंतर्गत राशि रुपये 8000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 80,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अंतर्गत राशि रुपये 11500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 11

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन अंतर्गत राशि रुपये 1907.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 19,07,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन अंतर्गत राशि रुपये 719.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,19,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन अंतर्गत राशि रुपये 500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 055

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1-3

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत अन्य राज्य सहायता हेतु राशि रुपये 13685.32 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,36,85,32,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 057
मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1

पर्यावरण उन्नयन एवं संरक्षण योजना शिवपुरी तालाब, शिवपुरी की व्यवस्था के लिये राशि रुपये 19.55 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 19,55,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 3

राष्ट्रीय जलीय स्तोंत संरक्षण कार्यक्रम (अमृत सागर तालाब, रतलाम) इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य की व्यवस्था हेतु राशि रुपये 55.472 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 55,47,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 058
मुख्य शीर्ष 2245

मद क्रमांक 1

बाढ़ तथा ओला वृष्टि पीड़ितों को राहत अंतर्गत सहायक अनुदान हेतु राशि रुपये 250.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

आरक्षित निधियों और जमा लेखों को अन्तरण प्राकृतिक आपदा अनखर्चि मार्जिन धन निधि अकाल राहत निधि अंतर्गत अन्तर लेखा अंतरण हेतु राशि रुपये 1204.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 12,04,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा राहत निधि से प्राप्त राशि अंतर्गत अन्तर लेखा अंतरण हेतु राशि रुपये 1892.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 18,92,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

राजस्व पुस्तक 6-4 के अंतर्गत आपदा में आर्थिक सहायता हेतु रुपये 10000.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

कीट प्रकोप में फसल क्षति योजना हेतु रुपये 60600.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,06,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 6

आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु पूंजीगत मद में वृहद निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 48540.01 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,85,40,01,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 060
मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 1

सांसद स्वेच्छानुदान निधि से आर्थिक सहायता अंतर्गत अन्य राज सहायता मद में रुपये 1,13,10,800 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,13,10,800 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2-4

विधायक स्वेच्छानुदान निधि से आर्थिक सहायता अंतर्गत अन्य राज सहायता मद में रुपये 3,65,51,900 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,65,51,900 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4515

मद क्रमांक 5-7

मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद में राशि रुपये 1,07,04,83,300 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,07,04,83,300 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 061
मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 1

पाईपों द्वारा ग्रामीण जलप्रदाय योजना अंतर्गत राशि रुपये 1.50 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4406

मद क्रमांक 2 - 4

बुन्देलखण्ड क्षेत्र विकास अंतर्गत राशि रुपये 300.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 063
मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक छातवृत्ति हेतु राशि रुपये 47.748 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 47,74,800 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अंतर्गत मैरिट-कम-मीन्स छातवृत्ति केन्द्रीय योजना हेतु राशि रुपये 30.811 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 30,81,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 3

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अंतर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में विकास के लिये वृहद निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 9508.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 95,08,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 064
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पेंशन योजना हेतु राशि रुपये 5000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पेंशन योजना हेतु राशि रुपये 5000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पेंशन योजना हेतु राशि रुपये 5566.95 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 55,66,95,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3604

मद क्रमांक 4

प्रवेश कर से नगरीय निकायों को हस्तांतरण हेतु राशि रुपये 150.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

प्रवेश कर से नगरीय निकायों को हस्तांतरण हेतु राशि रुपये 150.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

प्रवेश कर से नगरीय निकायों को हस्तांतरण हेतु राशि रुपये 100.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार का नगरीय निकायों को हस्तांतरण से अधिभार के लिये राशि रुपये 52.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 52,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6217

मद क्रमांक 8

शहरी विकास के लिये मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम हेतु राशि रुपये 25.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 065
मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1 - 3

विमानन संचालनालय अंतर्गत मजदूरी, परिवहन व्यवस्था एवं पूर्ण की आवश्यकता के लिये राशि रुपये 4.02 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,02,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5053

मद क्रमांक 4

विमानन संचालनालय को नये जेट विमान का क्रय हेतु राशि रुपये 33.50 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है। आकस्मिकता निधि से दिये गये अग्रिम का समायोजन इस राशि से किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 33,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 066
मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत आश्रम और छात्रावास के किराया हेतु राशि रुपये 20.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिये विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति हेतु राशि रुपये 600.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत जिला स्तरीय कन्या छात्रावास के किराया हेतु राशि रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 068
मुख्य शीर्ष 2029

मद क्रमांक 1 - 19

नव गठित विभाग लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के वेतन भत्ते एवं कार्यालयीन व्यय हेतु राशि रुपये 4.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।